न्यायालय संभागीय आयुक्त, कोटा सभांग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री कैलाश चन्द मीना आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 170/2020/अपील/एल0आर0एक्ट/बूंदी

दायरा दिनांक 23.11.2020

किस्म अपीलः धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

जरिये ग्रामवासीगण ग्राम अरयाली, अरनेठा तहसील नैंनवा जिला बूंदी राज0

1. छोटूलाल आत्मज कालूलाल जाति गुर्जर निवासी अरियाली तहसील नैनवा जिला बूंदी राज0।
2. शोजीलाल आत्मज जगदीश जाति गुर्जर निवासी अरियाली तहसील नैंनवा जिला बूंदी राज0।
3. शंकरलाल आत्मज बदरीलाल जाति गुर्जर निवासी अरियाली तहसील नैंनवा जिला बूंदी राज0।
4. रूपसिंह आत्मज भंवरलाल जाति गुर्जर निवासी अरियाली तह0 नैनवा जिला बूंदी राज0।
5. सुखपाल आत्मज लोडक्या जाति गुर्जर निवासी अरनेठा तह0 नैनवा जिला बूंदी राज0।
6. कन्हैयालाल आत्मज रामफूल जाति गुर्जर नि0 अरनेठा तहसील नैनवा जिला बूंदी राज0।
7. निमलाल आत्मज छीतर जाति गुर्जर निवासी अरनेठा तहसील नैनवा जिला बूंदी राज0।
8. रामजस आत्मज जगन्नाथ जाति गुर्जर निवासी अरियाली तहसील नैनवा जिला बूंदी राज0।
9. श्योंदान आत्मज केसरा जाति गुर्जर निवासी अरियाली तहसील नैनवा जिला बूंदी राज0।
10. रामनिवास आत्मज कल्याण जाति गुर्जर निवासी अरनेठा तहसील नैंनवां जिला बूंदी राज0।

.....अपीलार्थीगण.

बनाम

1. रंगलाल आत्मज प्रभूलाल जाति कुम्हार निवासी पीपल्या तहसील नैंनवा जिला बूंदी राज0।
2. सरकार जरिये तहसीलदार नैंनवा जिला बूंदी राज0।
3. रामविलास आत्मज किशनगोपाल जाति धाकड निवासी अरनेठा तह0 नैंनवा जिला बूंदी राज0।
4. बदरीलाल आत्मज किशनगोपाल जाति धाकड निवासी अरनेठा तह0 नैंनवा जिला बूंदी राज0।
5. रामजस आत्मज कान्हा जाति गुर्जर निवासी अरनेठा तह0 नैंनवा जिला बूंदी राज0।

.....रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित : श्री महेश योगी अभिभाषक अपीलार्थी
श्री हेमेन्द्रसिंह आसावत अभिभाषक रेस्पो0 क्रम–1
श्री सैफुद्धीन अंसारी राजकीय अभिभाषक रेस्पो0क्रम–2

:: निर्णय ::

दिनांक 18.10.2021

अपीलार्थी द्वारा न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, बूंदी ने प्रकरण सं0 572/2001 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राज0 भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम, 1970 उनवान सरकार जरिये तहसीलदार नैंनवा बनाम रंगलाल मे पारित निर्णय दिनांक 10.6.2002 की अप्रसन्नता से प्रथम अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 अन्तर्गत रेस्पो0 के विरूद्ध इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील के सबंध में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आवंटन परामर्श दात्री समिति द्वारा मुकाम करवर पर दिनांक 5.7.1999 को रंगलाल आ0 प्रभुलाल जाति कुम्हार निवासी पीपलिया को भूमि खसरा संख्या 2996 रकबा 16 बीघा 14 बिस्वा ग्राम करवर के किये गये आवंटन को निरस्त कराने हेतु तहसीलदार नैनवा द्वारा प्रार्थना पत्र नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व(कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम, 1970 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

में प्रस्तुत किया गया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 10.6.2002 से खारिज किया गया। जिससे अपीलांट्स ने एग्रीविद्व व्यक्ति होना वर्णित करते हुए प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी. सी. के साथ पेश कर वर्णित किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किये बिना वास्तविक स्थिति से परे जाकर सरसरी तौर पर प्रार्थना पत्र निरस्त कर वैधानिक त्रुटि की है। वादग्रस्त आराजी पहाडी के तलहटी पर बजड भूमि है जिसमें वन विभाग द्वारा जगह –जगह प्लानटेशन किया हुआ है। पिछले 30 वर्षो से अधिक समय से उक्त आराजी पर कृषि कार्य नही हुआ। मवेशी व गौशाला के जानवर उक्त आराजी पर विचरण करते आ रहे है। भूमि के चारो ओर वन विभाग की खाई बनी हुई है। मौके पर भूमि काबिल काश्त नही है। आवंटी रेस्पो0 क्रम 1 ग्राम पीपलिया का निवासी है। आवंटन तथ्यो को छिपाते हुए गलत तरीके से आवंटन कराया गया है। वादग्रस्त आराजी आवंटी के गांव पीपलिया से लगभग 30–35 किमी दूर ग्राम करवर में स्थित है। अतः आवंटन नियमो की अवहेलना होने से आवंटी का आवंटन प्रारम्भ से ही शून्य है। आवंटन नियमो के तहत् प्रथम तीन वर्ष उक्त आराजी पर कृषि कार्य किया जाना आवश्यक है। आवंटी द्वारा सन् 1999 से 2002 तक कृषि कार्य किये जाने से सबंधित कोई दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश नही किया है ओर ना ही आवंटी कभी काबिज काश्त रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने गलत बनाये गये राशन कार्ड के आधार पर निर्णय पारित करने में त्रुटि की है क्योकि राशन कार्ड निवास का प्रमाण नही है। निवास के प्रमाण के तौर पर मूल निवासी, मतदाता सूची या आधार कार्ड, पहचान पत्र इत्यादि राजकीय दस्तावेज का होना आवश्यक है। आवंटन आदेश में हल्का पटवारी की रिपोर्ट त्रृटिपूर्ण है। आवंटन नियम 11(2) का उल्लंघन हुआ है। गलत तथ्यो व दुरूपदेशन से करवाया गया आवंटन प्रारम्भ से ही शून्य होता है। आवंटी कोई लाभ प्राप्त नही कर सकता। आवंटन नियमो के विपरीत आवंटन को कभी भी निरस्त करवाया जा सकता है जिसमें किसी प्रकार की कानूनन बाध्यता नही है। आवंटी ने गुपचुप तरीके से सरकार का प्रार्थना पत्र खारिज होते ही उक्त आराजी को अपनी गैरखातेदारी में दर्ज करवा लिया और फिर खातेदारी प्राप्त कर ली। आवंटी ने उक्त आराजी को दिनांक 26.6.2020 को जरिये रजि0 विक्रय पत्र रेस्पो. 3 लगायत 5 को मोटी रकम प्राप्त कर बैचान कर दिया। रेस्पो. 3 लगायत 5 मात्र खरीदकर्ता होने से पक्षकार बनाये गये है। बेचान के बाद आवंटी व खरीदकर्ता द्वारा मौके पर जाकर जे.सी.बी. से खुदाई करने पर ग्रामवासियो को उक्त आवंटन के सबंध में पूर्ण जानकारी अगस्त के प्रथम सप्ताह में हुई जब जे.सी.बी. से खुदाई को गांव वालो द्वारा रोके जाने पर उनके द्वारा भूमि उनके द्वारा खरीद कर लेने की जानकारी देने पर हुई। उसके बाद ग्रामवासियो ने भूमि से संबधित आवश्यक दस्तावेजो की नकले प्राप्त कर अपील हेतु विधिक सलाह ली गई किन्तु कोविड–19 माहमारी के चले न्यायालय बन्द होने एवं न्यायिक कार्य स्थगित होने से न्यायालय खुलते ही अपील प्रस्तुत की गई। अतः अपील स्वीकार की जाकर आवंटन आदेश दिनांक 5.7.1999 व अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0) बून्दी द्वारा पारित जेरअपील निर्णय दिनांक 10.06.2002 निरस्त करने की इस्तदुआ की गई।

2 अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील, दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई। रेस्पो. क्रम 3 लगायत 5 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर उनकी तामील पूर्ण मानी गई।

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

3 अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस मे अपील मीमों मे कहे गये कथनों को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि आवंटी रेस्पो. क्रम 1 बाहर ग्राम, पीपलिया का निवासी होने के आधार पर आवंटन निरस्त होने योग्य है। वादग्रस्त आराजी ग्राम करवर की पहाडी की तलहटी पर बजड भूमि है जिसमें वन विभाग द्वारा जगह–जगह प्लांटेशन किया हुआ है। 30 वर्षो से भी अधिक समय से कभी कोई कृषि कार्य नही हुआ। गांव के मवेशी व गौशाला के जानवरो के विचरण एवं चराई के काम आती है। मौके पर भूमि काबिज काश्त नही है। ऐसी स्थिति में भूमि का आवंटन नही किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजी व साक्ष्य का अवलोकन किये बिना मौके की स्थिति के परे जाकर तहसीलदार नैंनवा द्वारा आवंटन निरस्तीकरण हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जैरअपील निर्णय दिनांक 10.6.2002 से निरस्त करने में विधिक त्रृटि की है। बहस में यह भी बताया कि आवंटन नियमो के तहत् प्रथम 3 वर्ष में आराजी पर कृषि कार्य किया जाना आवश्यक है। आवंटी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज भी अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत नही किया। आवंटन आदेश के सबंध में हल्का पटवारी की रिपोर्ट भी त्रृटिपूर्ण है। आवंटन नियम 11(2) का पूर्णरूप से उल्लंघन हुआ है। गलत तथ्यो के आधार पर किया गया आवंटन प्रारम्भ से ही शून्य होता है। आवंटी कोई लाभ प्राप्त नही कर सकता। नियमो के विपरीत किये गये आवंटन को कभी भी निरस्त करवाया जा सकता है। जिसमें किसी प्रकार की कानूनन बाध्यता नही है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के बाद आवंटी द्वारा उक्त आराजी को गैरखातेदारी में दर्ज करवा लिया तथा उसके उपरांत खातेदारी प्राप्त कर आराजी को दिनांक 26.10.2020 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र रेस्पो0 3 लगायत 5 को बेचान कर दिया। आवंटी खरीददार द्वारा मौके पर जाकर जे.सी.बी. से खुदाई करने पर ग्रामवासियो को जानकारी होने पर व्यथित/आवश्यक पक्षकार होने से प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. के साथ अपील की अनुमति के लिये प्रार्थना पत्र के साथ अपील प्रस्तुत की गई। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर आवंटन आदेश दिनांक 05.07.1999 व अति0 जिला कलक्टर बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.6.2002 निरस्त किये जाने का अनुरोध किया।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 1 ने बहस मे बताया कि आवंटन परामर्श दात्री समिति द्वारा नियमानुसार आवंटन किया जाकर कब्जा संभलाया गया है। कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन के नियम, 14(4) नियम 1970 के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को हुऐ आवंटन को तभी निरस्त किया जा सकता है जबकि धोखाधडी, गलत तथ्य प्रस्तुत कर के कराया गया हो। बवक्त आवंटन आवंटटी द्वारा कोई तथ्य नही छिपाया गये है। आवंटी बाहर का निवासी माना जाकर यह आवंटन निरस्तीकरण हेतु प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था जो सही नही होने से जैरअपील निर्णय से खारिज किया गया है। बहस में यह भी बताया कि आवंटी उसी तहसील व पंचायत समिति क्षेत्र का निवासी है। ग्राम करवर में भूमि आधोली (बंटवारा काश्त) पर जोतता रहा है। ग्राम करवर में निवास करने पर ही ग्राम पंचायत करवर ने ही उसको राशन कार्ड जारी किया हुआ है। बवक्त आवंटन वादग्रस्त कृषि भूमि के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। अन्य किसी भी व्यक्ति ने उक्त कृषि भूमि के लिये आवेदन नही किया। आवंटन की पात्रता होने से आवंटन परामर्श दात्री समिति ने आवंटन किया है। रेस्पो. क्रम 1 सदभावी काश्तकार है एंव आवंटन भूमि पर लगातार काश्त करता चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में समुचित तथ्य का अवलोकन करते हुए दिनांक 10.6.2002 को जैरअपील निर्णय पारित कर तहसीलदार (लेण्ड होल्डर) नैनवा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया है जिसमे किसी प्रकार का विधिक व तथ्यात्मक दोष नही है। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

व्यथित/आवश्यक पक्षकार नही है। अतः प्रथम दृष्टया ही प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी.खारिज किया जाकर तद्नुसार अपील अपीलांट खारिज की जाने का अनुरोध किया।

5. हमने पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक पर मनन किया। अपीलांट द्वारा जेरअपील आदेश के विरूद्ध अपील व्यथित पक्षकार होना प्रकट करते हुये प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी के साथ प्रस्तुत की है। अतः अपील का गुणावगुण पर विचारण करने से पूर्व यह विनिश्चिय किया जाना है कि आया अपीलांट प्रश्नगत अपील प्रकरण मे व्यथित पक्षकार हैं अथवा नही। अपीलांट/प्रार्थी द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी मे वर्णित किया है कि अपीलांट्स के वादग्रस्त आराजी पर मवेशी चरते है इसलिये वह प्रकरण मे आवश्यक पक्षकार है उक्त भूमि का आवंटन तथ्यों को छुपाकर करवाया गया है ऐसे आवंटन को कभी भी निरस्त कराया जा सकता है। ग्रामवासी एग्रीवड व्यक्ति है अतः नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर न्यायाहित मे सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख एंव जेरअपील निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि तहसीलदार नैंनवा (लेण्ड होल्डर) द्वारा दिनांक 5.7.99 को एडवाईजरी कमेटी द्वारा रेस्पो0 क्रम–1 को ग्राम करवर की वादग्रस्त भूमि के आवंटन को आवंटी बाहर ग्राम पीपल्या का निवासी होने के आधार पर निरस्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने आवंटी/रेस्पो0 क्रम–1 आवंटन नियम 1970 की पात्रता रखने से आवंटन परामर्शदात्री समिति द्वाराउक्त वर्णित भूमि का आवंटन किया जाना वर्णित करते हुये अपील सारहीन होने से दिनांक 10.6.2002 को खारिज की है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 10.6.2002 को अपीलांट्स द्वारा वादग्रस्त भूमि मे उनके मवेशी चरने के आधार पर एग्रीवड पर्सन होना वर्णित करते हुये अपील प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी के साथ लगभग 19 वर्ष बाद दिनांक 14.10.2020 को न्यायालय हाजा मे पेश की गई है जो अवधि बाधित है। चूंकि भूमि का तहसीलदार भू स्वामी होता है तथा उसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे आवंटी बाहर का निवासी होने के आधार पर वादग्रस्त भूमि का आवंटन निरस्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने नियम 11(2) की अवहेलना नही होना तथा आवंटी आवंटन की पात्रता रखता है, मानते हुये निर्णय दिनांक 10.6.2002 से खारिज किया है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय के उक्त जेरअपील निर्णय तथा आंवटन सलाहकार समिति द्वारा रेस्पो0 क्रम–1 (आवंटी) को किये गये वादग्रस्त भूमि के आवंटन के संबध मे अपीलांट्स एग्रीव्ड पर्सन होना साबित नही होने से अपीलांट्स को वादग्रस्त भूमि का आवंटन सलाहकार समिति द्वारा किये गये, आवंटन को निरस्त कराने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही होता है। लिहाजा उपरोक्त विवेचन अनुसार हस्तगत अपील प्रकरण मे अपीलांट्स एग्रीव्ड पर्सन होना साबित नही होने से प्रार्थना पत्र धारा 96 व्यवहार प्रकिया संहिता आधारहीन होने से खारिज किया जाकर तद्नुसार अपील अपीलांट पोषणीय नही होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है।

6 निर्णय आज दिनांक 18.10.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया/टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षरित न्यायालय की मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

18/10/21

(कैलाश चन्द मीसा)
संभागीय आयुक्त
कोटा

संभागीय आयुक्त
कोटा